न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(बईजलास श्री सी0आर0मीना, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल.आर. संख्या 2023/17 जिला–नागौर

1. भंवराराम पुत्र पूसाराम
2. गोगाराम पुत्र पूसाराम
3. रामप्रकाश पुत्र घासीराम
4. हरजुदेवी पत्नी घासीराम
5. रामनिवास पुत्र खेमाराम
6. राजूदेवी पत्नी खेमाराम

   समस्त जाति जाट निवासी भादवा तहसील परबतसर जिला नागौर।

–––अपीलार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार परबतसर जिला नागौर।
2. मंगनी पुत्री खेमाराम पत्नी परमाराम जाति जाट निवासी बडू तहसील परबतसर जिला नागौर।
3. नरकू देवी पुत्री खेमाराम जाति जाट निवासी गडी तहसील परबतसर जिला नागौर।
4. आचू देवी पुत्री खेमाराम पत्नी राजूराम जाति जाट निवासी बडू तहसील परबतसर जिला नागौर।

––––प्रत्यर्थीगण

———

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956,
विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी, परबतसर दिनांक 30–9–2022
अन्तर्गत राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 1545/2022

उपस्थित–
1. श्री समीर अहमद खान, अभिभाषक अपीलार्थी
2. श्री आकाश पारीक राजकीय अभिभाषक प्रत्यर्थी संख्या–1
3. श्री सुरेश स्वामी, अभिभाषक प्रत्यर्थी संख्या 2 से 4

निर्णय

दिनांकः–26–09–2023

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का भादवा की रिपोर्ट के आधार पर प्रत्यर्थी संख्या 1 तहसीलदार परबतसर द्वारा एक राजस्व प्रार्थना पत्र दिनांक 25–4–2022 को धारा 131 व 132 उपखण्ड अधिकारी, परबतसर के समक्ष

गैर मुमकिन रास्ता घोषित करने हेतु राजस्थान भू–अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 66, 86 अन्तर्गत अपीलार्थी व प्रत्यर्थी संख्या 2 लगायत 4 के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा भादवा के खसरा नम्बर 342, 343, 344 व 344/1 के मौके पर रास्ता चालू है जो कदीमी है जिसके बाबत खातेदारान खेमा, घासीराम, पूसाराम पिसरान सूधाराम जाति जाट, रामप्रकाश पुत्र घासीराम, हरजी पत्नी घासीराम, गणेश पुत्र लाडूराम जाति जाट ने अपना सहमति पत्र दे दिया है कि उपरोक्त खसरा नम्बर 342, 343, 344, 344/1 मौजा भादवा तहसील परबतसर में से आवागमन के लिए जो कदीमी रास्ता है उसे अभिलेख में दर्ज किये जाने पर हमें किसी प्रकार का एतराज नहीं है जिसे राजस्व अभिलेख में दर्ज कर दिया जावे। पटवारी हल्का भादवा द्वारा भी दिनांक 8–11–2021 को मौजा भादवा के उक्त खसरा नम्बर बाबत मौका रिपोर्ट प्रस्तत कर कदीमी रास्ते के रूप में काम आने तथा खातेदारों द्वारा सहमति से रास्ते के उपयोग में लेने हेतु भूमि रखी है मौके पर कच्चा पक्का रास्ता, सड़क बनी हुई है जिसका नजरी नक्शा भी प्रस्तुत है उपरोक्त रिपोर्टके आधार पर उपखण्ड अधिकारी परबतसर द्वारा अपने आदेश दिनांक 30–9–2022 के द्वारा रास्ता दर्ज किये जाने का आदेश पारित कर दिया। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील Subject to Limitation दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये तथा संबंधित अभिलेख मंगवाया गया। उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रार्थना–पत्र धारा–5 पर कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश की अपीलार्थी को जानकारी नहीं थी किन्तु दिनांक 9–1–2023 को कुछ व्यतियों द्वारा अपीलार्थी को धमकाने तथा फसल खराब करने की कोशिश की तथा उसमें से रास्ता बनाने का प्रयास किया तो प्रार्थी ने उससे कारण पूछा तो प्रार्थीगण को बताया कि यहां से होकर न्यायालय ने रास्ता दिये जाने का आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायलय द्वारा प्रार्थीगण को कोई नोटिस नहीं दिया एव ंना ही कोई सुनवाई नहीं की इस कारण उक्त आदेश की जानकारी नहीं हो सकी। तत्पश्चात प्रार्थीगण ने न्यायालय के आदेश की जानकारी की एवं आदेश की नकल हेतु दिनांक 10–1–2023 को आवेदन किया तो उसी दिन नकल लेकर अजमेर आकर जानकारी दिनांक से बिना विलम्ब के अपील प्रस्तुत की गई है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब सद्भाविक कारणों के रहते हुआ है, इस कारण देरी को क्षमा किया जाकर प्रस्तुत अपील को अन्दर मियाद किये जाने हेतु निवेदन किया।

प्रत्यर्थी संख्या–1 के विद्वान राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपीलार्थीगण के अधिवक्ता की मियाद के बिन्दु पर बहस का जवाब देते हुए निवेदन किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मियाद अधिनियम की धारा–5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जावे। मियाद हेतु छूट चाहने बाबत कोई ठोस कारण

अंकित नहीं किया गया है। मियाद में छूट चाहने बाबत ठोस कारण अंकित करने चाहिए थे। मियाद में छूट चाहने हेतु प्रतिदिन बाबत संतोषजनक कारण अंकित किया जाना चाहिए। इस प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मियाद के छूट के प्रार्थना पत्र में ऐसा नहीं किया गया है। अतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

हमने विद्वान अपीलार्थीगण अधिवक्ता की मियाद के बिंदु पर दिये गये तर्को पर गौर किया एवं इसी संबंध में माननीय उच्च न्यायालय एंव राजस्व मण्डल द्वारा समय–समय पर प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुसार प्रकरण की मेरिट पर विचार करना कानून एवं विधि की मांग होने से अपीलार्थीगण द्वारा बहस के दौरान मियाद अधिनियम की धारा–5 के तहत प्रस्तुत वास्तविक स्थिति के मध्येनजर प्रकरण प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया जाता है। अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत धारा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान मुख्य–मुख्य तर्क दिये कि पटवारी हल्का एंव भूअभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर प्रत्यर्थी संख्या 1 तहसीलदार परबतसर द्वारा दिनांक 25–4–2022 को धारा 131 व 132 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम सपठित नियम 58, 59, 60, 66, 86 नियम 1957 के अन्तर्गत अपीलार्थीगण व शेष प्रत्यर्थी संख्या 2 लगायत 4 के विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, परबतसर के न्यायलय में राजस्व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने स्वीकार कर गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जो निरस्तनीय है।

उनका यह भी तर्क है कि पटवारी हल्का द्वारा झूठी एवं गलत रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जबकि मौके पर खसरा नम्बरान 342, 343, 344 व 344/1 में से होकर किसी प्रकार का रास्ता बना हुआ नहीं है बल्कि पटवारी हल्का द्वारा जिस जगह से रिपोर्ट प्रस्तुत की है वहां पर पक्षकारान के पक्के मकान बने हुए है जिनमें से आवागमन किया जाना संभव नहीं है तथा हल्का पटवारी ने यह भी अंकित किया कि पक्षकारान ने सहमति से रास्ते के उपयोग में लेने हेतु भूमि रखी है तथा उपरोक्त रिपोर्ट पर प्रार्थीगण के नाम के हस्ताक्षर व अंगूठा निशानी भी फर्जकारी कर प्रस्तुत की जिसके आधार पर ही निर्णय पारित किया जबकि वास्तव में न तो ऐसा कोई रास्ता है और न इस स्थान से रास्ता दिया जाना संभव है । पटवारी हल्का ने जिन व्यक्तियों के हस्ताक्षर दिखाए गए है वह प्रार्थीगणों ने कभी नहीं किए फिर भी गलत रिपोर्ट के आधार पर रास्ता दिये जाने का गैर कानूनी आदेश पारित किया है जो निरस्तनीय है।

उनका यह भी तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय ने खसरा नम्बर 342 के पश्चिम में 343 ,344 तथा 344/1 के पूर्वी भाग में रास्ता दिये जाने बाबत सहमति पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें भी पक्षकारान के हस्ताक्षर दिखाए गए है तथा उक्त हस्ताक्षर में भंवरा राम व गोगाराम के पिता पूसाराम के भी हस्ताक्षर है जबकि

पूसाराम का देहान्त लगभग 12 वर्ष पूर्व हो चुका है परन्तु फिर भी किन्ही व्यक्तियों के गलत रूप से हस्ताक्षर करवाकर सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसके आधार पर ही रास्ता दिया गया है उसमें सभी काश्तकार आपस में सहमत है और सहमति से रास्ते को कटानी के रूप में करवाना चाहते है जबकि अपीलार्थीगण उपरोक्त रास्ते को न तो कटाणी कराना चाहते है और न ही अपीलांट सहमति है और न ही मौके पर किसी प्रकार का आवागमन हेतु रास्ता उपलब्ध है बल्कि अपीलार्थीगण खसरा नम्बर 342, 343, 344 व 344/1 के खातेदर है जिन्होंने कभी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष किसी भी प्रकार का रास्ता होने बाबत न तो कथन किया और न ही कोई सहमति व्यक्त की और न ही मौके पर कोई रास्ता उपलब्ध है। बल्कि जबरन अपीलार्थीगण के खेत में से होकर रास्ता दिये जाने का प्रयास किया गया है जो सर्वथा गलत है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थीगण को सुने बिना एवं सूचित किये बिना प्रशासन गावों के संग अभियान में इस प्रकार का आदेश परित किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत हाने से निरस्तनीय है। अतः अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–9–2022 निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस का जवाब देते हुए प्रत्यर्थी संख्या–1 तहसीलदार परबतसर के विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश चालू रास्तों का राजस्व अभिलेख व नक्शे ट्रेस में अंकन हेतु राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 एवं 132 तथा राजस्थान भू–अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 66 एवं 86 के प्रावधानों के अनुसार ही किया हैं जो विधिसम्मत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित आराजियात खसरा नम्बर 342, 343, 344 व 344/1 में से जनहित व लोकहित को दृष्टिगत रखते हुए गैर मुमकिन रस्ता घोषित किये जाने एवं रास्ते के नजरी नक्शे अनुसार गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने के आदेश पारित किये है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, परबतसर द्वारा न्यायहित में सार्वजनिक रास्तों का राजस्व रेकार्ड में अंकन किया है जो विधिसम्मत है। अतः अपीलार्थी की अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता की उक्त बहस का जवाब देते हुए प्रत्यर्थी संख्या 2 से 4 के अधिवक्ता ने कथन किया कि तहसीलदार, परबतसर की अनुशंषा के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, परबतसर ने अपने निर्णय दिनांक 30–9–2022 द्वारा रास्ता घोषित करने के गैर कानूनी आदेश पारित किये है। प्रत्यर्थी संख्या 2 से 4 द्वारा कभी भी विवादित आराजियात में से गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किये जाने हेतु सहमति प्रदान नहीं की गई। अपीलार्थीगण द्वारा बहस के दौरान किये गये कथन सही एवं सत्य है। अतः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, परबतसर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–9–2022 निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैंने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की सुनी बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख एवं दस्तावेजात का अवलोकन व अध्ययन किया जिससे यह स्पष्ट होता है कि तहसीलदार, परबतसर द्वारा उपखण्ड अधिकारी, परबतसर के समक्ष चालू स्थाई सार्वजनिक रास्तों की समस्याओं का रेकार्ड में अंकन हेतु राजस्थान भू–अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 66, 86 अन्तर्गत धारा 131, 132 के तहत ग्राम भादवा के खसरा नम्बर 342, 343, 344 व 344/1 में से गैर मुमकिन रास्ता घोषित किये जाने की अभिशंषा की गई। जबकि उक्त खसरा नम्बरान अपीलार्थी व प्रत्यर्थी संख्या 2 से 4 की खातेदारी की आराजियात है खातेदारी की आराजियात में से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का भादवा की रिपोर्ट के आधार पर गैर मुमकिन रास्ता घोषित किये जाने के आदेश पारित कर दिये।

यहां यह भी उल्लेख करना उचित है कि विवादित आराजियात ग्राम भादवा के खसरा नम्बर खसरा नम्बर 342, 343, 344 व 344/1 अपीलार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी है जिस पर अपीलार्थी व प्रत्यर्थी संख्या 2 से 4 काबिज काश्त चले आ रहे है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी परबतसर ने अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी संख्या 2 से 4 को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही केवल तहसीलदार, परबतसर की रिपोर्ट के आधार पर उनकी खातेदारी की आराजियात में से नजरी नक्शेनुसार गैरमुमकिन रास्ता घोषित करने का आदेश पारित कर दिया जबकि निजी खातेदारी की आराजियात में से गै0मु0 रास्ता दर्ज किये जाने से पूर्व मौके की स्थिति की जानकारी एवं पड़ौसी खातेदारान को समुचित सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए था। साथ ही तहसीलदार के समक्ष किसी भी ग्रामवासी द्वारा रास्ता दर्ज करने के संबंध में कोई प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया हो ऐसा दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। पत्रावली में उपलब्ध सहमति पत्र पर पूसाराम के हस्ताक्षर है जबकि पूसाराम की मृत्यु 12 वर्ष पूर्व होने का उल्लेख अपीलार्थीगण द्वारा अपील मीमों में किया है तो सहमति पत्र पर पूसाराम के हस्ताक्षर किसी अन्य फर्जी व्यक्ति से कराया जाना प्रतीत होता है। उक्त गलत रिपोर्ट के आधार पर गैर मुमकिन रास्ता दिये जाने का गैर कानूनी आदेश पारित किया है जो उचित नहीं है।

अपीलार्थीगण की विवादित आराजियात खसरा नम्बर ग्राम भादवा के खसरा नम्बर खसरा नम्बर 342, 343, 344 व 344/1 में से गैर मुमकिन रास्ता दिये जाने का उल्लेख किया है जिसकी मौके की जांच किया जाना आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा केवल तहसीलदार, परबतसर की अनुशंषा के आधार पर अपीलार्थीगण व प्रत्यर्थी संख्या 2 से 4 की ग्राम भादवा स्थित निजी खातेदारी की आराजियात खसरा नम्बर खसरा नम्बर 342, 343, 344 व 344/1 में से अपीलार्थीगण व प्रत्यर्थी संख्या 2 से 4 को बिना सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किये राजस्व रेकार्ड में गैर मुमकिन रास्ता घोषित किये जाने का आदेश दिनांक 30–9–2022 पारित कर दिया जो विधिसम्मत नहीं है। ऐसी स्थिति में

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, परबतसर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–9–2022 त्रूटिपूर्ण होने से खारिज किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थीगण की यह अपील स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, परबतसर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 30–9–2022 त्रूटिपूर्ण होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 26–09–2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सी0आर0मीना)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर